भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5228
24 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति 2019 का कार्यान्वयन

5228 **श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग पोलिसी, 2019 को पूरी तरह से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य एक लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले धातु स्क्रैपिंग केंद्र (एमएससी), स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र (एसपीसी) और हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत संग्रहण और भंजन केंद्र स्थापित करके लगभग 7 मिलियन टन की वर्तमान आयात निर्भरता को कम करना है।

(ख) विशेषकर महाराष्ट्र में प्रचालनात्मक/स्वीकृत एमएससी और एसपीसी (लक्ष्य 70) और 300+ सीडीसी का ब्यौरा क्या है और वाहन स्क्रैपेज नीति/आरवीएसएफ के साथ इसके एकीकरण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना के लिए दिए गए केन्द्रीय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अनुदानों और किए गए निजी निवेश का और इन केन्द्रों की सृजित क्षमता का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2019 से इनसे आपूर्ति पाने वाली इस्पात इकाइयों का केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत प्रस्तावित 700 स्क्रैप प्रसंस्करण केन्द्रों (एसपीसी) की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इस संबंध में भूमि अधिग्रहण और सांविधिक/पर्यावरणीय स्वीकृतियों के संबंध में क्या चुनौतियां सामने आई हैं और इसके अंतर्गत एमएसएमई की भागीदारी और रोजगार सृजित होने की तारीख क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से इस्पात स्क्रैप पुर्नचक्रण नीति, 2019 (एसएसआरपी, 2019) अधिसूचित की है। सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है जो देश में धातु स्क्रैपिंग के पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। दिनांक 12.03.2026 की स्थिति के अनुसार, देश के 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 134 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) प्रचालनरत हैं। आरवीएसएफ में कुल 4,65,393 वाहनों को स्क्रैप किया गया है, जिससे स्क्रैप स्टील की रिकवरी में योगदान मिला है। आरवीएसएफ का राज्य-वार विवरण इसके साथ संलग्न है। केंद्र सरकार 'राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना' (एसएएससीआई) 2025-26 के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के स्वैच्छिक वाहन-बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) में वाहनों की स्क्रैपिंग और संबंधित कार्यान्वयन उपायों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक

प्रचालनरत आरवीएसएफ का राज्य-वार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य	आरवीएसएफ की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	5
3.	बिहार	2
4.	चंडीगढ़	1
5.	छत्तीसगढ	3
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	9
9.	हरियाणा	21
10.	हिमाचल प्रदेश	2
11.	कर्नाटक	2
12.	लद्दाख	1
13.	मध्य प्रदेश	5
14.	महाराष्ट्र	10
15.	ओडिशा	2
16.	पंजाब	5
17.	राजस्थान	3
18.	तमिलनाडु	1
19.	तेलंगाना	3
20.	उत्तर प्रदेश	47
21.	उत्तराखंड	5
22.	पश्चिम बंगाल	3
कुल		**134**

*****